न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः–1/16 दायरा दिनांकः– 22.01.16

आर.सी.एम.एस नम्बर–2016/00156

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

राधेश्याम पुत्र चर्तुभुज जाति खटीक निवासी रामगढ तहसील किशनगंज जिला बारां– **अपीलान्ट**

बनाम

बाबूलाल पुत्र केसरीलाल जाति खटीक निवासी रामगढ तहसील किशनगंज जिला बारां– **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित

श्री राधाबल्लभ नागर अभिभाषक अपीलान्ट

श्री रामकिशन नागर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्ध दिनांक 26.06.2015 प्रकरण संख्या 10/2015न्यायालय तहसीलदार किशनगंज, अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.08.2019

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के निर्णय दिनांक 26.06.2015 प्रकरण संख्या 10/2015 उनवान राधेश्याम बनाम बाबूलाल अन्तर्गत धारा 183 (बी) की अपील इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट की किसी भी भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया तथा हल्का की रिपोर्ट को ही मानकर निर्णय पारित करने में न्याय के सिद्धान्तो की अवेहलना की है जबकि हल्का पटवारी ने झूठी रिपोर्ट पेश की है इसलिए भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सम्पूर्ण साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है इसलिए भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय बाबत् अपीलान्ट को नहीं सुनाया उक्त निर्णय का सर्वप्रथम हल्का पटवारी से दिनांक 30.12.2015 को प्राप्त हुई जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 30.12.2015 को प्राप्त हुई इसलिए निर्णय 26.06.2015 से निर्णय की प्रथम जानकारी दिनांक 30.12.2015 तक की अवधि में कण्डोम की जाकर अपील अवधि मध्य पेश है।

रेस्पोडेण्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि खातेदार हूँ, कुल जमीन 4 बीघा 2 बिस्वा दक्षिण मेड की तरफ अपीलान्ट का खेत है। पैमाईश की पालना रिपोर्ट संलग्न 10.06.2014 की इसके बाद पक्षकारान के बीच राजीनामा हुआ था थाने में 22.08.2014 को एवं अपील 7 महिने बाद की, जो अपील टाईम बार्ड हो चुकी है। अपील खारिज की जावे।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि पैमाईश का प्रकरण, दोबारा पैमाईश करवा दी। जावें जहां पैमाईश की स्थिति आयेगी स्वीकार है।

बहस उभय पक्ष सुनने के बाद यह पाया गया कि अपीलान्ट भूमि की पुनः पैमाईश चाहता, पदउपरान्त यदि अतिक्रमण पाया जावें तो उसे निर्णय स्वीकार है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकारकी जाकर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेण्ट की अपीलान्ट भूमि ख.नं. 404 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा की पैमाईश भू अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च अधिकारी से कराई जावें। पैमाईश उपरान्त रेस्पोडेण्ट की उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट अतिक्रमण पाया जावें तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का निर्णय दिनांक 28.06.2015 यथावत रहेगा। यदि पैमाईश उपरान्त रेस्पोडेण्ट की विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं पाया जावे तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 28.06.2015 निरस्त समझा जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(हीरालाल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.05 15:22:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: